

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक—649 / 2013
संस्थित दिनांक—16 / 07 / 2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

1—जिब्रियस लकड़ा पिता स्व, विलियम लकड़ा, जाति उराव (ईसाई) उम्र—26 वर्ष,
निवासी—ग्राम देवगांव, थाना बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—इनूसेंट पिता अथोनी टोप्पो जाति उराव, उम्र—35 वर्ष,
निवासी—ग्राम देवगांव, थाना बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्तगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—18 / 02 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी जिब्रियस के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा—3 / 181, 146 / 196 के अंतर्गत एवं आरोपी इनूसेंट के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—5 / 180, 146 / 196 के अंतर्गत यह आरोप है कि जिब्रियस ने दिनांक—11.07.2013 को शाम करीब 06:00 बजे ग्राम दमोह सरदार ढाबा के सामने थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / एम. 0913 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत आयुश जैन को चोट पहुंचाकर साधारण उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना बीमा व वैध लाईसेंस के चलाया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—11.07.2013 को फरियादी आयुश जैन अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक—एम.पी.50 / एम.जी. 3627 इग्नीटर से घर से निकलकर दमोह बस स्टैंड तरफ घूमने जा रहा था, तभी शाम करीब 6 बजे राजू ढाबा के सामने मेन रोड़ पर उसकी गाड़ी के आगे चल रहे ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / एम. 0913 के चालक ने बड़ी तेजी व लापरवाही से उक्त वाहन को बिना संकेत दिए अचानक उसकी साईड की तरफ मोड़ दिया, जिससे वह अपनी मोटरसाइकिल सहित ट्रेक्टर के सामने भाग से टकरा गया और मोटरसाइकिल सहित जमीन पर गिर गया, जिससे उसके दाएं हाथ, दाएं पैर के घुटने व पंजे, गले तथा पेट पर चोट आई थी एवं उसकी मोटरसाइकिल काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। आरोपी के

विरुद्ध फरियादी आयुश द्वारा थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज करायी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-91/13, धारा-279, 337 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत आयुश का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर दुर्घटना कारित वाहन को जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर आरोपी जिब्रियस के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 एवं आरोपी इनूसेंट के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी जिब्रियस के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अंतर्गत एवं आरोपी इनूसेंट के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी जिब्रियस ने दिनांक-11.07.2013 को शाम करीब 06:00 बजे ग्राम दमोह सरदार ढाबा के सामने थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी. 50/एम. 0913 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी जिब्रियस ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत आयुश जैन को चोट पहुंचाकर साधारण उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी जिब्रियस ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
4. क्या आरोपी इनूसेंट ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का मालिक होते हुए उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा के चलवाया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत आयुश जैन (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक को वह मोटरसाइकिल से दमोह बस स्टेण्ड की ओर जा रहा था तो राजू ढाबे के पास सामने से आरोपी ने ट्रेक्टर को बिना संकेत दिए यू टर्न में मोड़ दिया, जिससे उसकी मोटरसाइकिल उक्त ट्रेक्टर से टकरा गई और वह गिर गया। उक्त दुर्घटना में उसके गले, पेट व शरीर के अन्य भागों पर चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, थाना बिरसा में किया था, जिस पर

उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी मोटरसाइकिल और ट्रेक्टर दोनों धीमी गति से जा रहे थे। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी शराब के नशे में था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना उसकी गलती से हुई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप अभियोजन मामले का समर्थन करते हुये साक्ष्य पेश की है।

6— धीरज (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के समय उसका पुत्र आयुश मोटरसाइकिल से घुमने गया था तो उसका ट्रेक्टर से एक्सीडेन्ट हो गया था। उसने आवाज सुनकर मौके पर गया था, जहां ट्रेक्टर और आरोपी खड़ा था तथा आहत की मोटरसाइकिल नीचे पड़ी थी। पुलिस ने उसके सामने उक्त ट्रेक्टर का जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी ट्रेक्टर चला रहा था या नहीं। यद्यपि साक्षी का कथन है कि घटनास्थल पर आरोपी को पकड़कर रखे थे तो उसने देखा था। इस प्रकार साक्षी ने मौके पर घटना के तत्काल पश्चात् पहुंचकर तत्काल का वृत्तांत पेश किया है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आहत आयुश को ट्रेक्टर दुर्घटना में चोट आई थी और दुर्घटना कारित ट्रेक्टर के पास आरोपी को लोगो ने पकड़कर रखा था।

7— दिवान (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय ट्रेक्टर चालक के द्वारा अचानक ट्रेक्टर को मोड़ दिए जाने से मोटरसाइकिल टकरा गई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय आरोपी उक्त ट्रेक्टर को चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना कैसे घटी वह नहीं देख पाया था तथा बाद में वह घटनास्थल पर गया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को ट्रेक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई थी। साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार विनोद अ. सा.4 ने भी घटना के बारे में कोई जानकारी होना प्रकट नहीं किया है और न ही अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन किया है।

8— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सोमलाल (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 11.07.13 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। आयुश की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया ने लेख की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने विवेचना के दौरान घटनास्थल से स्वराज कंपनी का ट्रेक्टर एम.पी. 50/एम. 0913 जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। उसने साक्षी आयुश, धीरज, दीवान एवं विनोद के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने

आयुश की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वाहन मालिक को धारा-133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी-5 दिया था, जिसके जवाब प्रदर्श पी-6 में इनूसेंट ने घटना के समय आरोपी जिब्रियस के द्वारा वाहन चलाया जाना बताया था। उसने आरोपी को साक्षी के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय फरियादी आयुश जैन के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं था, लेकिन उसने आयुश के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

9— प्रकरण में आहत आयुश (अ.सा.1) की साक्ष्य में यह तथ्य अखंडित रहा है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था और अचानक बिना संकेत दिए ट्रेक्टर को मोड़ने के कारण आहत की मोटरसाइकिल टकरा गई थी, जिसके फलस्वरूप उसे साधारण चोट आई थी। आरोपी की मुलाहिजा रिपोर्ट प्रमाणित नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने घटना के समय आरोपी का शराब का नशे में होना भी प्रकट किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में भी आरोपी के शराब के नशे में होने का उल्लेख है। अभियोजन की ओर से अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना स्वयं होते हुए देखने का तथ्य प्रकट नहीं किया है। यद्यपि साक्षी धीरज ने घटना के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुंचकर दुर्घटना कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा तैयार घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 के अनुसार यह तथ्य प्रमाणित है कि घटनास्थल लोकमार्ग वाला स्थान था। उक्त साक्षीगण के कथन से यह प्रमाणित है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही लोकमार्ग पर ट्रेक्टर को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाया जाकर दुर्घटना कारित की गई थी, जिसके फलस्वरूप आहत आयुश को साधारण उपहति कारित हुई थी।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सोमलाल (अ.सा.6) ने इस तथ्य को भी प्रमाणित किया है कि दुर्घटना कारित वाहन के मालिक अर्थात् आरोपी इनूसेंट को धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस देकर आरोपी जिब्रियस के द्वारा उसके वाहन को घटना के समय चालन किये जाने की सूचना प्राप्त की थी। इस तथ्य का खंडन स्वयं आरोपीगण ने उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में नहीं किया है और न ही घटना के समय किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उक्त वाहन का चालन किये जाने की चुनौती किसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दी है। इस प्रकार अभियोजन का अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के द्वारा समर्थन न किये जाने पर मात्र से आहत आयुश (अ.सा.1) व अन्य साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार प्रकट नहीं होता है।

11— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि स्वयं आहत आयुश मोटरसाइकिल को बिना लायसेंस के चलाकर मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों

का उल्लंघन करने तथा अंशदायी उपेक्षा बरतने से आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता। उक्त तर्क के संबंध में मामले के तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुये विचार किये जाने पर यह प्रकट होता है कि मात्र आहत आयुश के पास वाहन चलाने का वैध लायसेंस न होने के आधार पर आरोपी आरोपित अपराध के लिये उन्मोचित नहीं हो सकता है। आरोपी बड़े वाहन ट्रैक्टर को लोकमार्ग पर चलाते हुये छोटे वाहन की सुरक्षा का ध्यान रखने की उसके कर्तव्य एवं दायित्व से विमुख होना प्रकट होता है। सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने लोकमार्ग पर दुर्घटना कारित वाहन टवेरा को सम्यक् सतर्कता व उचित सावधानी के अभाव में चालन करते हुये आहत आयुश को साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार अभियोजन ने मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी जिब्रियस ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर ट्रैक्टर क्रमांक—एम.पी.50/एम. 0913 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत आयुश जैन को चोट पहुंचाकर साधारण उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया तथा आरोपी इनूसेंट ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का मालिक होते हुए उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा के चलवाया। फलस्वरूप आरोपी जिब्रियस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत एवं आरोपी इनूसेंट को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

13— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहें हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

14— आरोपीगण के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी जिब्रियस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 1,000/—, 500/—, 500/—, 1,000/—रूपये कुल राशि 3,000/—रूपये (तीन हजार रुपये) एवं आरोपी इनूसेंट को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/—, 1,000/—रूपये कुल

राशि 1,500/—(एक हजार पांच सौ रुपये) की अर्थदण्ड की राशि से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी जिब्रियस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15-15-15-15 दिवस तथा आरोपी इनूसेंट को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

15— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50/एम. 0913 मय दस्तावेज सहित सुपुर्ददार इनूसेंट पिता अंथोनी टोप्पो, निवासी—ग्राम देवगांव, थाना बिरसा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट